

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेन सहायक कलेक्टर घडसाना

रीटायरी अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस. जैन्य कोर्ट ग्राम पंचायत 600


2025/225
600/25

आदेश

दिनांक 17-09-2025

प्रार्थी के खाता दुकस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 992 मू-अभिलेख निरीक्षक के पास रखी गई थी। तहसीलदार (राजस्थ) घडसाना/राजस्थ नामक तहसीलदार की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान मू-राजस्थ अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 800-A तहसील घडसाना/राजस्थ जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी संख्या 05 में खाता सं. 05 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुदृढ़ किया जाकर राजस्थ रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खाता सं. | वर्तमान प्रविष्टि (सुदृढ़ प्रविष्टि) | आदेश (सुदृढ़ प्रविष्टि जो राजस्थ रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।) |
|----------|--------------|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 800-A | 05 | इश्वरी देवी w/o सुन्दरलाल हि. पूजा गारि इरोडा म. म. खारोडा राहिन (पूजा स्थल) स्टेट बैंक ऑफ़ राजस्थान राज्य कलेक्टर शाखा के म. घडसाना | इश्वरी देवी w/o सुन्दरलाल हि. पूजा गारि इरोडा म. खारोडा राहिन (पूजा स्थल) SBI शाखा कलेक्टर शाखा के म. घडसाना |



सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना

दिनांक 17-09-2025

क्रमांक/रीडर/ग्रा0से0शि0./2025/607-609

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार घडसाना/राजस्थ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्थ रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री इश्वरी देवी w/o सुन्दरलाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना